

PRESS NOTE MEERUT RANGE

जनपद गाजियाबाद प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 12.05.19

01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार:- थाना लिंकरोड पुलिस द्वारा दिनांक 11.05.19 को समय 23.30 बजे लिंकरोड थाना क्षेत्र देवीका टॉवर के पास से अभियुक्त 1- राजू पुत्र शियाराम निवासी सी-2/19 रोहणी सैक्टर-27 थाना शाहबाद दिल्ली 2- धीरेन्द्र सिंह पुत्र दुलम सिंह निवासी उपरोक्त को गिरफ्तार किया है जिनके कब्जे से 01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है।

03 पेटी देशी शराब हरियाणा मार्का व घटना मे प्रयुक्त एक कार सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार:- थाना लिंकरोड पुलिस द्वारा दिनांक 12.05.19 को समय 1.05 बजे ब्रजविहार रेलवे क्रासिंग के पास से अभियुक्त 1- अमितनागर पुत्र रविन्द्र नागर निवासी ब्रजविहार थाना लिंकरोड गा0बाद 2- सागर चौहान पुत्र पिन्टू चौहान निवासी उपरोक्त को एक कार आई-10 नम्बर- UP14CD2736 में 03 पेटी देशी शराब हरियाणा मार्का ले जाते हुए गिरफ्तार किया है।

48 पच्चा देशी शराब हरियाणा मार्का सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार:- थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा दिनांक 12.05.19 को समय 1.30 बजे निकट शिव विहार मेट्रो स्टेशन के पास से अभियुक्त राहुल पुत्र धीरसिंह निवासी सी- 958 हर्ष बिहार दिल्ली को गिरफ्तार किया है ,जिसके कब्जे से 48 पच्चा देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुई है

थाना कविनगर पुलिस द्वारा एक मोबाइल लूटेरा/ गैंगस्टर अभियुक्त गिरफ्तार- थाना कवि नगर पुलिस द्वारा दिनांक 12-05-2019 को समय 03:50 बजे अभियुक्त के घर डासना से थाना सिहानी गेट से मोबाइल लूट के अभियोग में गैंगस्टर दानिश जो मु.अ.सं.2487/2018 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में लगातार वांछित चल रहा था तथा जिसका माननीय न्यायालय द्वारा वारंट भी जारी किया गया है को गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त का नाम पता:-

1- दानिश पुत्र यूनुस निवासी ननुआ कॉलोनी एक मीनार मस्जिद के पास डासना थाना मसूरी गाजियाबाद

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1- मु.अ.स.2487/2018 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सिहानी गेट गाजियाबाद

2- मु.अ.स.1421/2018 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सिहानी गेट गाजियाबाद

3-मु.अ.स.1419/2018 धारा 411/414/482 IPC थाना सिहानी गेट गाजियाबाद

4-मु.अ.स.1402/2018 धारा 392/411 IPC थाना सिहानी गेट गाजियाबाद

5- मु.अ.स.278/2017 धारा 379/411 IPC थाना कोतवाली गाजियाबाद

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक: 12.05.2019 जनपद बुलन्दशहर

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 03 शातिर चोर चोरी किए गए 08 मोबाईल फोन सहित गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन एवं सहायक पुलिस अधीक्षक नगर के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 11.05.19 को उ०नि० संहसरपाल सिंह मय पुलिस फोर्स के देख-रेख शान्ति व्यवस्था तलाश वांछित अपराधी एवं संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग में मामूर थे कि जब कालीनदी पुल पर चैकिंग कर रहे थे, मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि विगत रात्रि में धमैडा अड्डा व मौ० देवीपुरा में स्थित दुकानों से जो मोबाईल फोन चोरी हुए थे, उनको लेकर चार लडके कालीनदी शमशानघाट की तरफ से आ रहे हैं। इस सूचना पर उ०नि० संहसरपाल सिंह मय फोर्स के मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुंचे तो शमशानघाट की तरफ से चार लडके आते दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी कर समय करीब 20.05 बजे 03 अभियुक्तों चोरी के 08 मोबाईल फोन व एक अवैध छुरी सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है तथा अभियुक्तों का एक साथी मौके से फरार हो गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता—

- 1— गुललेश उर्फ ऐडी पुत्र सईद निवासी विश्राम वाली गली थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।
- 2— अरबाज पुत्र सईद खां निवासी उपरोक्त।
- 3— सादाब पुत्र मौ० जफीरा निवासी उपरोक्त।

बरामदगी—

- 1— 08 मोबाईल फोन विभिन्न कम्पनियों के।
- 2— एक छोटा सब्बल
- 3— एक छुरी।

उल्लेखनीय है कि तीनों अभियुक्तों द्वारा अपने फरार साथी के साथ मिलकर दिनांक 10.05.19 की रात्रि में वादी डब्बू माहुर पुत्र जयप्रकाश सिंह निवासी ग्राम सरायघासी थाना को०देहात बुलन्दशहर की धमैडा अड्डा स्थित दुकान का शटर तोड़कर गल्ले से 2100 रुपये व 08 मोबाईल फोन चोरी की घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मु०अ०सं०-378/19 धारा 457,380 भादवि पंजीकृत है। इस घटना से सम्बन्धित अभियुक्तों से 05 मोबाईल बरामद हुए हैं।

इसके अतिरिक्त दिनांक 10.05.19 की रात्रि में ही अभियुक्तों द्वारा वादी योगेश पुत्र रामचन्द्र निवासी मौ० देवीपुरा थाना कोतवाली नगर बुलन्दशहर की मौ० देवीपुरा में स्थित दुकान का शटर तोड़कर गल्ले से 2400 रुपये व 06 मोबाईल फोन चोरी कर लिए गए थे जिसके संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मु०अ०सं०-379/19 धारा 457,380 भादवि पंजीकृत है। इस घटना से सम्बन्धित अभियुक्तों से 03 मोबाईल बरामद हुए हैं।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मुअसं-385/19 धारा 4/25 शस्त्र अधि० पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

पुलिस टीम—

1. श्री ध्रुव भूषण दुबे प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर
2. उ०नि० संहसरपाल सिंह
3. है०का० सतीश कुमार, का० अशोक कुमार, का० विकसित कुमार।

PRESS NOTE

दिनांक 12.05.2019

जनपद बागपत पुलिस का सराहनीय कार्य

➤ दो वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

- **थाना छपरौली :-** पुलिस द्वारा मु0अ0सं 112/19 धारा 307 भादवि, मु0अ0सं 113/19 धारा 60/63 आबकारी अधि0 व 468, 471 भादवि एवं मु0अ0सं 114/19 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट मे वांछित अभियुक्त अमित पुत्र यतेन्द्र नि0 पट्टी चौधरान कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया है।
- **थाना खेकडा :-** पुलिस द्वारा मु0अ0सं 185/19 धारा 307 2/3 गैंगस्टर एक्ट मे वांछित अभियुक्त फिरोज पुत्र आकिल नि0 ग्राम रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया है।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गौतमबुद्धनगर

दिनांक 12.05.2019 सराहनीय कार्य

थाना फेस 2

जनपद गौतमबुद्धनगर पुलिस का सराहनीय कार्य।

दिनांक 11.05.2019 को थाना फेस टू पुलिस द्वारा थाना तीन वाहन चोरो को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी से तीन ऑटो जिन्हे फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर चलाया जा रहा था, को बरामद किया गया है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण—

- 1—अरविन्द कुमार मौर्य पुत्र रामकृपाल नि० नंगला चरण दास थाना फेस 2 नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर।
- 2—वशिष्ठ राय पुत्र रामायण राय निवासी आंटी फार्म कुलेसरा थाना ईकोटेक 3 जिला गौतमबुद्धनगर।
- 3— पुनीत राघव पुत्र वीरपाल सिंह निवासी कुलेसरा थाना ईकोटेक 3 जिला गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:—

1. तीन ऑटो जिनके चेसिस नम्बर मिटे और फर्जी नम्बर प्लेट लगी है।

पंजीकृत अभियोग:—

1. मु०अ०सं० 317/2019 धारा 41/102 सीआरपीसी व 414/420 भादवि थाना फेस 2 नोएडा।

थाना बादलपुर

जनपद गौतमबुद्धनगर पुलिस का सराहनीय कार्य।

दिनांक 12.05.2019 को थाना बादलपुर पुलिस द्वारा थाना हाजा के सक्रिय/हिस्ट्रीशीटर/टॉप 10 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक देशी पिस्टल मय दो जिन्दा कारतूस व एक गाडी मारुति जैन बरामद की गयी है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण—

- 1—कपिल पुत्र भीम सिंह नि० ग्राम दुजाना थाना बादलपुर जिला गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:—

1. एक देशी पिस्टल मय 02 जिन्दा कारतूस मय मैगजीन।
2. एक गाडी मारुति जैन नं० डीएल 5 सीसी 4792।

आपराधिक इतिहास:—

1. मु०अ०सं० 42/13 धारा 392 भादवि थाना बादलपुर जिला गौतमबुद्धनगर।
2. मु०अ०सं० 263/13 धारा 392/411 भादवि थाना बादलपुर जिला गौतमबुद्धनगर।
3. मु०अ०सं० 214/14 धारा 307/506 भादवि थाना बादलपुर जिला गौतमबुद्धनगर।
4. मु०अ०सं० 221/14 धारा गुण्डा अधि० थाना बादलपुर जिला गौतमबुद्धनगर।
5. मु०अ०सं० 367/14 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना बादलपुर जिला गौतमबुद्धनगर।

6. मु0अ0सं0 224 / 15 धारा 307 भादवि थाना बादलपुर जिला गौतमबुद्धनगर।
7. मु0अ0सं0 230 / 15 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना बादलपुर जिला गौतमबुद्धनगर।
8. मु0अ0सं0 232 / 15 धारा 414 भादवि थाना बादलपुर जिला गौतमबुद्धनगर।
9. मु0अ0सं0 200 / 14 धारा 307 / 506 भादवि थाना बादलपुर जिला गौतमबुद्धनगर।
10. 149 / 19 धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट थाना बादलपुर जिला गौतमबुद्धनगर।

प्रेस नोट दिनांक 12.05.2019 जनपद मेरठ

थाना सिविल लाईन

थाना सिविल लाईन पुलिस द्वारा कचहरी परिसर से अभियुक्त सोनू पुत्र प्यारे निवासी कौठ का पुल थाना सदर बाजार मेरठ से 01 छुरी नाजायज के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। उक्त सम्बन्ध में थाना हाजा पर विधिक कार्यवाही की गयी है।

थाना इंचौली

थाना इंचौली पुलिस द्वारा कस्तला नवीपुर की पुलिया से अभियुक्त सोनू पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम कस्तला षमषेर नगर थाना इंचौली मेरठ को 48 पच्चा षराब अंग्रेजी अरुणाचल प्रदेश मार्का व 150 लीटर षराब खाम व 01 गाडी अल्टो कार नं0 यूपी 15 एजी 6336 के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। उक्त सम्बन्ध में थाना हाजा पर विधिक कार्यवाही की गयी है।